



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244335
CG-DL-E-13032023-244335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]
No. 137]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

सा. का. नि. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 के नियम 7क के उप-नियम (2) में "संयुक्त सचिव", शब्दों के स्थान पर "उप विधि सलाहकार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एन-15011/20/2023-एनसी]

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 597(अ), तारीख 22 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2023

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in sub-rule(2) of rule 7A, for the words "Joint Secretary", the words "Deputy Legal Adviser" shall be substituted.

[F. No. N-15011/20/2023-NC]

SUNITA ANAND, Jt. Secy. and Legal Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 597 (E), dated the 22nd July, 2022.